राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 60/2020

कैलाश चन्द्र गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.01.2020

आदेश की दिनांक : 29.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि पुनर्निधारण वेतनमान नियम, 1998 के अनुसार दिनांक 01.09.1996 से वर्ष 1986, 1988 का बकाया लाभ दिए जाने के निर्देश दिए जावें और चयनित वेतनमान का लाभ भी तथा वेतनमान नियम, 1998 के अंतर्गत दिनांक 01.09.1996 से वेतन रूपये 11950/– निर्धारित करते हुए तथा शेष राशि आदेश दिनांक 18.06.2019 के अनुसार प्रदान किए जाने के निर्देश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी ने सिविल सहायक सर्जन के पद पर दिनांक 24.01.1976 से सेवाएं देना शुरू कीं और

उसे कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के तहत अपीलार्थी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नियम, 1996 के नियम 50 के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिनांक 02.05.2001 को प्रत्यर्थी विभाग को दिया, जिसमें अपीलार्थी ने दिनांक 01.08.2001 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा न तो अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकार किया गया और न ही निरस्त किया गया, जिसके पश्चात् अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 426/2002 प्रस्तुत की और जिसके क्रम में याचिका स्वीकार कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2017 के द्वारा अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति दिनांक 02.08.2001 से स्वीकार की गई। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन निर्धारण का लाभ वर्ष 1987, 1989 में पांचवे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को समय–समय पर अनेको अभ्यावेदन दिए, परंतु उनका कोई निराकरण नहीं किया गया और दिनांक 18.06.2019 को अपीलार्थी का वेतन निर्धारण किया गया, जो रूपये 10975/– दिनांक 01.09.1996 को किया गया। जबकि नियम, 1998 के अंतर्गत अपीलार्थी का वेतन रूपये 11950/– दिनांक 01.09.1996 से नियत हो गई। इस प्रकार अपीलार्थी पांचवे वेतन आयोग के अंतर्गत वर्ष 1987, 1989 में वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि पुनर्निधारण वेतनमान नियम, 1998 के अनुसार दिनांक 01.09.1996 से वर्ष 1986, 1988 का बकाया लाभ दिए जाने के निर्देश दिए जावें और चयनित वेतनमान का लाभ भी तथा वेतनमान नियम, 1998 के अंतर्गत दिनांक 01.09.1996 से वेतन रूपये 11950/– निर्धारित करते हुए तथा शेष राशि आदेश दिनांक 18.06.2019 के अनुसार प्रदान किए जाने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी दिनांक 12.05.1984 से 12.09.1989 तक की अनुपस्थिति अवधि हेतु कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 11.07.2016 को इन्हें देय पेंशन राशि का 25 प्रतिशत भाग सदैव से रोक के दण्ड से दण्डित किया गया था और प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.04.2018 के द्वारा दिनांक 02.08.2001 से सेवानिवृत्ति स्वीकृत की गई। अपीलार्थी की सर्विस बुक पेंशन विभाग

को भिजवाई जा चुकी है व पेंशन स्वीकृति उपरांत बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने सिविल सहायक सर्जन के पद पर दिनांक 24.01.1976 से सेवाएं देना शुरू कीं और उसे कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के तहत अपीलार्थी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नियम, 1996 के नियम 50 के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा तीन माह पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिनांक 02.05.2001 को प्रत्यर्थी विभाग को दिया, जिसमें अपीलार्थी ने दिनांक 01.08.2001 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं दिए जाने पर अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 426/2002 प्रस्तुत किए जाने पर और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2017 की अनुपालना में अपीलार्थी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2001 से स्वीकार की गई। अपीलार्थी का समय–समय पर विभाग द्वारा न तो वेतन निर्धारण उचित रूप से नियमानुसार किया गया और न ही नियमानुसार समय पर उसे पेंशन परिलाभ आदि का लाभ प्रदान किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी की सर्विस बुक पेंशन विभाग को भिजवाई जा चुकी है व पेंशन स्वीकृति उपरांत बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पेंशन/सेवानिवृत्ति फायदों का भुगतान समय पर नहीं किया गया है। जबकि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 89(1) में निम्नलिखित प्रावधान है :–

> *"If the payment of retiral benefits has been authorised after 60 days from the date when its payment became due, and it is established that the delay in payment was not on account of failure on the part of the Government servant in compliance of the procedure laid down in this chapter or elsewhere in these rules, interest @ 9% per annum from the date retiral benefits become due would be payable till the end of the month preceeding the month in which the retiral benefits are authorised."*

उपरोक्त नियमानुसार विलम्ब से सेवानिवृत्ति फायदों का भुगतान होने पर कार्मिक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का हकदार है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि यदि अपीलार्थी का नियमानुसार वेतन निर्धारण नहीं किया गया है तो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी वेतन आयोग के अनुसार अपीलार्थी का नियमानुसार वेतन निर्धारण किया जावे और सेवानिवृत्ति पश्चात् यदि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति फायदों का भुगतान विलम्ब से किया गया है तो उक्त प्रावधानानुसार/नियमानुसार अपीलार्थी को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान भी किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य